



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-41

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254196 दिनांक 24/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ram Lal Jat S/o KISHAN LAL JAT	श्री किशन पुत्र श्री घीस्या	91	270.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE CHATARPU RA LALYA KA BAS) Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	सेज पुनर्वास योजना ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के आवासीय भूखण्ड संख्या 91 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 202 दिनांक 09.02.2012 को श्री किशन पुत्र श्री घीस्या के पक्ष में जारी की गई थी। आवेदक द्वारा अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीकिशन पुत्र श्री घासीराम की मृत्यु दिनांक 05.05.2023 को हो चुकी है। आवेदक प्रस्तुत शपथ अनुसार श्रीकिशन पुत्र श्री घासीराम के वारिस (1) सरजू देवी (पत्नी) (2) जगदीश प्रसाद (पुत्र) (3) रामलाल जाट (पुत्र) (4) स्व. सोहन देवी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

(पुत्री-फोट)-ममता
देवी-पुत्री एवं
रामनरेश
चौधरी-पुत्र (5)
भूरी (पुत्री) (6)
कानी देवी (पुत्री)
(7) शांति देवी
(पुत्री) है। उक्त
वारिसान में से
(1) सरजू देवी
(पत्नी) (5) भूरी
(पुत्री) (6) कानी
देवी (पुत्री) (7)
शांति देवी (पुत्री)
(4) स्व. सोहन
देवी
(पुत्री-फोट)-ममता
देवी-पुत्री एवं
रामनरेश
चौधरी-पुत्र, (2)
जगदीश प्रसाद
(पुत्र) द्वारा उक्त
भूखण्ड पर अपने
हिस्से का
हकत्याग जरिये
रजिस्टर्ड हक
त्याग पत्र क्रमांक
202403135102
414 दिनांक
06.08.2024 से
श्री रामलाल जाट
पुत्र श्री किशन
लाल जाट के हक
में कर दिया गया
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Ram Lal Jat S/o KISHAN LAL JAT को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक नोट :-
समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप को राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।